



Rajasthan Pharmacy Council

(Constituted Under The Pharmacy Act 1948)

Govt. Dispensary Campus, Sardar Patel Marg, 22 Godam Circle, Jaipur – 302001 (Raj.)

Phone No. 0141-2228600, Email – pharmacycouncilrajasthan@gmail.com

Website : www.rajasthanpharmacycouncil.in

क्रमांक आरपीसी/आर.टी.आई/2025/13941(A)

दिनांक 28/02/25

कार्यालय आदेश

कौंसिल कार्यालय, जयपुर में वर्तमान में सभी आर.टी.आई आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किये जा रहे हैं। दिनांक 24.02.2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसहमति से पारित निर्णय के क्रम में दिनांक 01.03.2025 के पश्चात् कौंसिल कार्यालय में सभी आर.टी.आई आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे।

साथ ही दिनांक 01.03.2025 के पश्चात् प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

अतः दिनांक 01.03.2025 से आर.टी.आई आवेदक आवेदन एवं प्रथम अपील केवल ऑनलाइन माध्यम से (<https://rti.rajasthan.gov.in>) ही प्रस्तुत करें।

(महावीर कुमार सौगानी)
अध्यक्ष
राजस्थान फार्मसी कौंसिल
जयपुर

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, जयपुर।
3. श्रीमान सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार रैगर)
रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मसी कौंसिल
जयपुर